न्यायालयः— प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमरपाटन, जिला सतना मध्यप्रदेश।

जमानत आवेदन क्रमांक—161/2023
अपराध क्रमांक—277/2023
सी.एन.आर.एम.पी. 19050019302023

राजू मेवाड़ा पिता मनोहर सिंह मेवाड़ा, उम्र 29 वर्ष, निवासी— खजुरी सड़क फन्दाकला, थाना खजुरी सड़क, जिला भोपाल म.प्र.।

.....**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

म.प्र. राज्य द्वारा थाना रामनगर जिला सतना म.प्र.।

..... **अभियोजन**

प्रतिलिपि आदेश पत्रिका दिनांक 06.10.2023

इस आदेश के द्वारा आवेदक/अभियुक्त राजू मेवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है जिसका विवरण निम्नानुसार है—

1. संबंधित थाना— अमरपाटन।
2. प्रथम सूचना पत्र क्रमांक— 277/2023।
3. प्रथम सूचना पत्र के पंजीकरण का दिनांक—16.06.2023।
4. घटना दिनांक— 16.06.2023।
5. अभियुक्त की गिरफ्तारी का दिनांक— 24.09.2023।
6. प्रकरण में अभियोग पत्र प्रस्तुति का विवरण— प्रस्तुत नहीं किया गया है।
7. प्रकरण में विवेचना की स्थिति— लम्बित है।

राज्य द्वारा श्री पंकज पटेल अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

आवेदक/अभियुक्त राजू मेवाड़ा की ओर से श्री दिग्विजय त्रिपाठी अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 439 द.प्र.सं. पर तर्क हेतु नियत है।

थाना रामनगर से अपराध क्रमांक 277/2023, अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 363, धारा 366—क, धारा 376(2—जी), धारा 370, धारा 120/34 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5 सहपठित धारा 6 से संबंधित केस डायरी एवं इसी न्यायालय से रिमाण्ड पत्रावली मेरे समक्ष पेश।

ए.पी.पी. द्वारा जमानत आवेदन पत्र का लिखित जबाव न देना व्यक्त किया गया। मौखिक विरोध किया गया।

अभियोक्त्री को अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन प्रस्तुत करने की

सूचना दी गई, जो उसे प्राप्त हुई है लेकिन उसके द्वारा जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उभयपक्ष के जमानत आवेदन पत्र पर तर्क श्रवण किये गये।

आवेदक का धारा 439 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत यह प्रथम आवेदन के संबंध में शपथकर्ता **श्रीमती महरनिया रावत पति झुट्ठा रावत, उम्र 70 वर्ष, निवासी–ग्राम खोड़री, थाना रामनगर जिला सतना म.प्र.** का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का यह प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र है, जिसका कोई खण्डन अपर लोक अभियोजक द्वारा नहीं किया गया है।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी शिवबालक यादव ने दिनांक 16.06.2023 को थाना रामनगर में उपस्थित होकर इस आशय की मौखिक सूचना की इसके एक बच्चा और तीन बच्चियां हैं। तीसरे नम्बर की लड़की/अभियोक्त्री ने वर्तमान में पढ़ाई छोड़ दी है और घर में ही रहती है। दिनांक 15.06.2023 के समय 05 बजे सुबह इसकी लड़की बिना बताए कहीं चली गई है, जिसकी पता–तलाश आस पड़ोस एवं नात–रिश्तेदारी में किया, लेकिन अभियोक्त्री का कोई पता नहीं चला। इसे शंका है कि इसकी लड़की/अभियोक्त्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला–फुसलाकर कहीं भगा ले गया है।

उक्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा मामले की कार्यवाही के दौरान दिनांक 22.09.2023 को अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया। अभियोक्त्री को दस्तयाब किया जाकर दस्तयाबी पंचनामा बनाया गया। अभियोक्त्री के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मैहर के समक्ष कराए गए, जिसमें अभियोक्त्री ने बताया कि दिनांक 14.06.2023 को सुबह 06 बजे यह घर के लिए पानी भरने गई थी। उसके बाद में चाची के घर गई वहां पर चाची के फोन से अपनी मम्मी पापा को फोन लगवाने गई थी, किंतु चाची के द्वारा दरवाजा नहीं खोला गया, तभी दो लोग मोटरसाइकिल से आये और इसका मुंह दबा दिया जिससे कि यह चिल्ला न सके, उसके बाद उक्त दोनों व्यक्तियों के द्वारा इसे बेहोश करने वाली दवाई खिला दी। फिर उक्त दोनों व्यक्ति द्वारा ग्राम भेडरा के एक घर में छोड़ दिया। वहां से यह किसी तरह भागी तो जिस घर में इसे छोड़कर गये थे वह लोग इसे फिर से पकडकर वापस घर लेकर आ गये। फिर वह अपनी बहन को फोन लगाये और बोली इसे अपने घर ले जाये। इसके कपड़े उतार कर फेंक दिये और इसे नये कपडे दिलाये थे। फिर दो दिन अपने घर में रखे और मैहर लेकर आये थे। जिस घर में इसे उक्त दो व्यक्ति छोड़ कर गये थे उनके द्वारा इसे सुनील नाम के व्यक्ति को बेच गया था। फिर सुनील भोपाल लेकर चला गया। फिर सुनील ने इससे भोपाल के मंदिर में शादी कर ली। फिर वह इसे अपने घर पर लेकर चला गया। दिनांक 18.06.2023 को सुनील ने इसके साथ

गलत काम किया गया था। यह सुनील व सुनील के भाई व भाई रीवा आये थे। फिर इसने ऑटो वाले के मोबाइल से अपने पापा को फोन लगाया। फिर इसने अपने पापा को यह बोला कि वह इसे लेने रीवा आ जाये। फिर इसके पिता जी द्वारा उक्त घटना इसके फूफा जी को बताई तो इसके फूफा जी इसे लेने रीवा रोड आ गये। फिर यह सभी को लेकर पुलिस थाना रीवा आ गये। फिर रीवा पुलिस थाने वालों के द्वारा रामनगर थाने फोन लगाकर घटना की सूचना दी गई।

विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। अभियोक्त्री व आरोपी के चिकित्सीय परीक्षण उपरांत वेजायनल स्लाईड व सीमन स्लईड बायोलॉजिकल परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. सागर भेजे गये। पीड़िता के कथन के आधार पर लैंगिक अपराध घटित करने के घटना स्थल एवं नक्शा मौका तैयार किया गया। अभियोक्त्री के प्राथमिक स्कूल से आयु संबंधी दस्तावेज प्राप्त करने पर घटना दिनांक को अभियोक्त्री की आयु लगभग 15 वर्ष होकर अवयस्क होना पायी गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री के माता–पिता के न्यायालयीन एवं अभियोक्त्री के कथन लेख किये गये। संपूर्ण विवेचना से आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 363, धारा 366–क, धारा 376(2–जी), धारा 370, धारा 120/34 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5 सहपठित धारा 6 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त के संबंध में कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक का ससुराल ग्राम खोड़री थाना रामनगर जिला सतना में है तथा आवेदक भोपाल में निवासरत है और आवेदक अपने परिवार के साथ भोपाल में ही निवास करता है, रक्षाबंधन होने के कारण वह अपने ससुराल अपनी पत्नी को लेकर ग्राम खोड़री आया था। आवेदक के द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है और किसी का अपहरण अथवा खरीदने–बेचने का काम नहीं किया गया है। फरियादिया ने स्वतः अपनी मर्जी से सुनील गौर के साथ विवाह कर लिया गया और कई महीने तक वह सुनील गौर के साथ ही रही आई उसके बाद वह रामनगर आकर आवेदक के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट गांव वालों व परिवार वालों के कहने पर की है। आवेदक द्वारा अभियोक्त्री के साथ न तो बलात्कार किया गया और न ही उसे विक्रय किया गया, उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। आवेदक का एक 08 वर्ष का पुत्र है जो आवेदक पर आश्रित है तथा आवेदक के जेल में रहने से आवेदक एवं उसके पुत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। आवेदक के कहीं भागने एवं फारर होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक के जेल में बंद होने से

बुरा असर पड़ेगा एवं भविष्य बर्बाद हो जावेगा तथा मानसिक दुष्प्रभाव भी पड़ने की प्रबल संभावना है। आवेदक/अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलका प्रस्तुत करने को तैयार है। अतः उसे जमानत पर उन्मुक्त किया जावे।

विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा तर्क के दौरान आवेदक को जमानत दिये जाने का मौखिक विरोध किया गया है।

उभयपक्षों को सुना गया। तर्क के प्रकाश में केस डायरी का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 363, धारा 366–क, धारा 376(2–जी), धारा 370, धारा 120/34 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 5 सहपठित धारा 6 से संबंधित अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

केस डायरी के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अभियोक्त्री का अपहरण किया जाकर उसे विक्रय किया गया है एवं अभियोक्त्री के साथ बलात्कार की घटना कारित की गई है, जिसमें आवेदक राजू मेवाड़ा के द्वारा सक्रिय रूप से सहयोग किया गया है। आवेदक के विरूद्ध प्रथम दृष्टया यह आरोप है कि उसके द्वारा अभियोक्त्री को भोपाल ले जाया गया और जबरदस्ती अभियोक्त्री की शादी सुनील गौड के साथ भोपाल के मंदिर में कराई गई। इस प्रकार अभियुक्त का कृत्य गंभीर प्रकृति का है। प्रकरण में अभी विवेचना अपूर्ण है।

अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए इस स्तर पर आवेदक/अभियुक्त राजू मेवाड़ा को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता। अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति केस डायरी के साथ संलग्न की जावे।

आदेश की एक प्रति रिमाण्ड पत्रावली के साथ संलग्न की जावे।

आदेश की प्रति सी. आई. एस. में विधिवत अपलोड की जावे।

परिणाम लेखबद्ध कर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सही/–
दीपक शर्मा
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
अमरपाटन जिला सतना म.प्र.

प्रतिलिपिः–

1. केस डायरी के साथ संलग्न।
2. रिमाण्ड पत्रावली के साथ संलग्न।

दीपक शर्मा
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
अमरपाटन जिला सतना म.प्र.

DEEPAK SHARMA

Digitally signed by DEEPAK SHARMA
Date: 2023.10.06 16:40:59 +0530